भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता

Indian Institute of Science Education and Research Kolkata

IISER KOLKATA

प्रवेश एवं छात्र आचरण उपविधियाँ

ADMISSION AND STUDENT CONDUCT BY-LAWS

1. यह उपविधियाँ (By-Laws) छात्र मामलें कार्यालय (Office of Students' Affairs), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा तैयार की गई हैं तथा दिनांक **29.06.2026** को अधिसभा के अध्यक्ष (निदेशक, आईआईएसईआर कोलकाता) द्वारा अनुमोदित हैं।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है जो इन उपविधियों के किसी प्रावधान से भिन्न अथवा उसके विपरीत हो, तो इन उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर पुनः अधिसभा के अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

1. This document was made by the Office of Students’ Affairs, and was approved by the Chairman of the Senate (Director, IISER Kolkata) on 29.06.2026.
2. If the competent authority takes any decision that differs from or contradicts the present clauses of this document, the document shall be revised accordingly and resubmitted to the the Chairman of the Senate for further approval.

प्रवेश एवं छात्र आचरण उपविधियाँ

ये उपविधियाँ भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (जिसे आगे "आईआईएसईआर कोलकाता" अथवा "संस्थान" कहा जाएगा) के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगी।

इन उपविधियों को संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियमों (Acts), विधियों (Statutes), अध्यादेशों (Ordinances), विनियमों (Regulations), नियमों (Rules), छात्रावास नियमों (Hostel Rules), शैक्षणिक दिशा-निर्देशों (Academic Guidelines), रैगिंग निरोधक विनियमों (Anti-Ragging Regulations), नेटवर्क नीति (Network Policy), आचार संहिता (Code of Conduct), अधिसूचनाओं (Notifications), परिपत्रों (Circulars), परामर्शों (Advisories) तथा प्रशासनिक निर्देशों (Administrative Instructions) के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा एवं लागू किया जाएगा।

प्रत्येक विद्यार्थी तथा जहाँ लागू हो वहाँ उसके माता-पिता अथवा अभिभावक के लिए इन उपविधियों तथा इनमें उल्लिखित सभी नियमों को पढ़ना, समझना एवं उनका पालन करना अनिवार्य होगा। प्रवेश, पंजीकरण, छात्रावास में निवास, विद्यार्थी के रूप में निरंतरता तथा संस्थान की सुविधाओं का उपयोग इन उपविधियों एवं संस्थान के सभी लागू नियमों के अनुपालन के अधीन रहेगा।

1. सामान्य अनुपालन (General Compliance)

1.1 प्रत्येक विद्यार्थी संस्थान द्वारा समय-समय पर आधिकारिक अधिसूचना, संस्थान की वेबसाइट, ई-मेल अथवा अन्य अधिकृत माध्यमों से जारी सभी दिशा-निर्देशों, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमावलियों, छात्रावास विनियमों, परिपत्रों, परामर्शों, आचार संहिताओं, शैक्षणिक विनियमों, अनुशासनात्मक निर्देशों एवं प्रशासनिक आदेशों का पालन करेगा।

1.2 संस्थान का आधिकारिक ई-मेल, आधिकारिक पोर्टल, ऑनलाइन प्रपत्र, डिजिटल स्वीकृतियाँ (Digital Acknowledgements), इलेक्ट्रॉनिक घोषणाएँ (Electronic Undertakings) तथा अन्य आधिकारिक संचार माध्यम संस्थागत उद्देश्यों के लिए वैध संचार एवं घोषणा के माध्यम माने जाएंगे।

1.3 संस्थान के सक्षम प्राधिकारियों, जिनमें अधिष्ठाता, छात्रपाल, मुख्य छात्रपाल, सहायक मुख्य छात्रपाल, छात्र मामलें कार्यालय के अधिकारी, संकाय सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, चिकित्सकीय कर्मचारी तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्राधिकारी सम्मिलित हैं, द्वारा अनुशासन, सुरक्षा, संरक्षा, छात्रावास प्रशासन, शैक्षणिक कार्य, आपातकालीन प्रबंधन तथा संस्थागत व्यवस्था से संबंधित मामलों में जारी निर्देश विद्यार्थियों पर बाध्यकारी होंगे।

1.4 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध एवं युक्तिसंगत निर्देशों का पालन न करने पर संस्थान की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक अथवा प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

2. छात्र आचरण एवं अनुशासन (Student Conduct and Discipline)

2.1 प्रत्येक विद्यार्थी परिसर के भीतर तथा बाहर अनुशासन, गरिमा, शिष्टाचार, विनम्रता एवं उचित आचरण बनाए रखेगा।

2.2 विद्यार्थी संकाय सदस्यों, अधिकारियों, छात्रपालों, छात्रावास कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, हाउसकीपिंग कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों, आगंतुकों तथा सहपाठियों के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करेंगे तथा परिसर समुदाय में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे।

2.3 विद्यार्थी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आईआईएसईआर कोलकाता की प्रतिष्ठा, अनुशासन, सुरक्षा, संरक्षा अथवा संस्थान के सुव्यवस्थित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

2.4 दुराचार (Misconduct) में निम्नलिखित कृत्य सम्मिलित होंगे, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

- रैगिंग (Ragging)
- उत्पीड़न (Harassment)
- धमकाना या डराना (Bullying/Intimidation)
- जबरदस्ती अथवा दबाव डालना (Coercion)
- शारीरिक हमला (Assault)
- धमकी देना (Threats)
- अपमानजनक या अभद्र व्यवहार (Abusive Conduct)
- यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)
- लिंग आधारित दुराचार (Gender-based Misconduct)
- विधि अथवा संस्थागत नीति द्वारा निषिद्ध भेदभाव
- अशोभनीय अथवा अव्यवस्थित व्यवहार
- शैक्षणिक बेईमानी (Academic Dishonesty)
- संस्थान की संपत्ति को क्षति पहुँचाना (Vandalism)
- अनधिकृत कब्ज़ा अथवा अनधिकृत निवास
- संस्थान के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना
- साइबर दुराचार (Cyber Misconduct)
- छात्रावास, शैक्षणिक, सुरक्षा अथवा प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन
- ऐसा कोई भी कार्य जिससे संस्थान के किसी सदस्य की सुरक्षा, गरिमा अथवा कल्याण को खतरा उत्पन्न हो
- अथवा लागू विधि के अंतर्गत दंडनीय कोई अन्य कार्य।

2.5 धमकाने, अपमानित करने, अभद्र व्यवहार करने, संस्थागत कार्यों में हस्तक्षेप करने अथवा संस्थागत अनुशासन के प्रतिकूल किसी भी आचरण के लिए विद्यार्थी के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3. रैगिंग निषेध (Anti-Ragging)

संस्थान रैगिंग के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाता है।

रैगिंग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी "उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम संबंधी विनियम, 2009", माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा दिनांक 08 मई 2009 के निर्णय के अनुसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।

3.1 रैगिंग किसी भी रूप में पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा इसे गंभीर अपराध माना जाएगा।

3.2 प्रत्येक विद्यार्थी तथा उसके माता-पिता/अभिभावक को यूजीसी, भारत सरकार तथा आईआईएसईआर कोलकाता द्वारा निर्धारित अनिवार्य एंटी-रैगिंग प्रतिज्ञा-पत्र (Anti-Ragging Undertaking) प्रस्तुत करना होगा।

3.3 यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार निम्नलिखित में से एक या अधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

- चेतावनी (Warning)
- निलंबन (Suspension)
- छात्रावास से निष्कासन (Hostel Expulsion)
- संस्थान से अस्थायी निष्कासन (Rustication)
- छात्रवृत्ति का निरस्तीकरण (Cancellation of Scholarship)
- पुलिस शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराना
- संस्थान से स्थायी निष्कासन (Expulsion from the Institute)

4. छात्रावास में निवास, अवकाश एवं परिसर में आवागमन
(Hostel Residence, Leave and Campus Movement)

4.1 छात्रावास में आवास (Hostel Accommodation) प्रदान किया जाना एक विशेषाधिकार (Privilege) है, न कि विद्यार्थी का अधिकार (Right)। छात्रावास का आवंटन, आवास की निरंतरता, पुनः आवंटन अथवा निरस्तीकरण संस्थान के नियमों, उपलब्धता, शैक्षणिक आवश्यकताओं, सुरक्षा संबंधी विचारों तथा प्रशासनिक विवेकाधिकार के अधीन होगा।

4.2 छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रावास अवकाश (Hostel Leave) संबंधी नियमों, उपस्थिति संबंधी आवश्यकताओं, कक्ष अधिभोग (Room Occupancy) के मानकों, प्रवेश एवं निकास प्रक्रियाओं, आगंतुक संबंधी नियमों, आवागमन अभिलेखों, उपस्थिति प्रणाली, बायोमेट्रिक सत्यापन तथा संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

4.3 जहाँ आवश्यक हो, विद्यार्थियों को अनुमत अवधि से अधिक समय तक छात्रावास अथवा परिसर से अनुपस्थित रहने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। परिसर से बाहर जाते अथवा परिसर में प्रवेश करते समय, यदि ऐसी व्यवस्था निर्धारित हो, तो उन्हें अपने आवागमन का विवरण निर्धारित रजिस्टर, पोर्टल अथवा डिजिटल प्रणाली में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

4.4 सामान्यतः संस्थान, अनधिकृत अनुपस्थिति, यात्रा संबंधी गलत अथवा भ्रामक जानकारी प्रदान करने, छात्रावास अवकाश नियमों के उल्लंघन अथवा बिना अनुमति परिसर छोड़ने से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि लागू विधि के अंतर्गत संस्थान की जिम्मेदारी स्थापित न हो अथवा संस्थान की सिद्ध लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न न हुई हो।

4.5 निर्धारित समय के पश्चात प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक भवनों अथवा संस्थान के अन्य परिसरों में रहने वाले विद्यार्थियों को नामित प्राधिकारी को इसकी सूचना देना आवश्यक हो सकता है। ऐसा न करने को सुरक्षा अथवा संस्थागत नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।

4.6 परिसर की सुरक्षा एवं संस्थागत अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थान प्रवेश एवं निकास के समय, आगंतुकों के प्रवेश, कक्ष निरीक्षण, आवागमन अभिलेख, डिजिटल उपस्थिति, बायोमेट्रिक सत्यापन तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों को विनियमित कर सकता है।

4.7 छात्रावास अवकाश (Hostel Leave) के प्रयोजनार्थ, यदि कोई निवासी विद्यार्थी यह स्व-घोषणा (Self-Declaration) करता है कि उसने अपने माता-पिता अथवा अभिभावक की अनुमति प्राप्त कर ली है, तो ऐसी घोषणा को वैध एवं सत्य माना जाएगा।

4.8 यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास नियमों अथवा शैक्षणिक नियमों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक परिसर से अनुपस्थित रहना चाहता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. छात्रावास कक्षों का अस्थायी रूप से खाली कराया जाना, पुनः आवंटन एवं उपयोग
(Temporary Vacation, Reallocation and Use of Hostel Rooms)

5.1 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (आईआईएसईआर कोलकाता) को रखरखाव (Maintenance), आपातकालीन परिस्थितियों (Emergencies), संस्थागत कार्यक्रमों (Institutional Programmes), सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं, ग्रीष्मकालीन अवकाश की व्यवस्थाओं, स्थान के युक्तिसंगत उपयोग (Space Rationalization) अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से छात्रावास कक्षों को अस्थायी रूप से खाली कराने, उनका पुनः आवंटन (Reallocation) करने, निरीक्षण (Inspection) करने अथवा अन्य संस्थागत उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5.2 अवकाश, सत्रावकाश, स्वीकृत अवकाश अवधि, दीर्घकालिक अनुपस्थिति, रखरखाव कार्य अथवा अन्य संस्थागत आवश्यकताओं के दौरान विद्यार्थियों को अपने छात्रावास कक्ष खाली करने, कक्ष की चाबियाँ जमा करने, अपने सामान को संस्थान द्वारा निर्धारित भंडारण स्थल (Designated Storage Space) में स्थानांतरित करने अथवा संस्थान द्वारा निर्धारित अस्थायी आवास व्यवस्था का पालन करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

5.3 अवकाश, सत्रावकाश, अथवा अन्य गैर-शैक्षणिक अवधि के दौरान छात्रावास में निवास की अनुमति केवल संस्थान की स्वीकृति, आवास की उपलब्धता, शैक्षणिक आवश्यकता, अनुसंधान कार्य, परीक्षा संबंधी आवश्यकता अथवा प्रशासनिक विवेकाधिकार के अधीन होगी।

5.4 सामान्यतः संस्थान उन व्यक्तिगत वस्तुओं की हानि, चोरी अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिन्हें विद्यार्थी बिना निगरानी के छोड़ देते हैं, अनुचित ढंग से असुरक्षित रखते हैं अथवा छात्रावास कक्ष स्थायी रूप से खाली करने के पश्चात वहीं छोड़ देते हैं। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।

6. आगंतुक, अतिथि एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश
(Visitors, Guests and Restricted Access)

6.1 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (आईआईएसईआर कोलकाता) गोपनीयता, सुरक्षा तथा छात्रावास अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगंतुकों के आगमन का समय (Visitor Timings), प्रवेश संबंधी नियम (Access Regulations), अनुरक्षक (Escort) संबंधी आवश्यकताएँ, अतिथि पंजीकरण (Guest Registration) की प्रक्रिया, प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी प्रोटोकॉल (Restricted Access Protocols) तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

6.2 बिना अनुमति किसी व्यक्ति को छात्रावास में साथ रखना (Unauthorized Cohabitation), बिना अनुमति रात्रि-विश्राम (Unauthorized Overnight Stay) कराना, आगंतुकों की उपस्थिति को छिपाना अथवा छात्रावास की आगंतुक नीति (Hostel Visitation Policy) का उल्लंघन करना दुराचार (Misconduct) माना जाएगा तथा इसके लिए उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

6.3 छतों (Rooftops), सेवा क्षेत्रों (Service Areas), विद्युत कक्षों (Electrical Rooms), प्रयोगशालाओं (Laboratories), अनुरक्षण अनुभागों (Maintenance Sections), खिड़कियों, बाहरी किनारों (Ledges), बंद कक्षों (Locked Rooms), सुरक्षित क्षेत्रों (Secured Spaces) अथवा संस्थान द्वारा अधिसूचित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

6.4 छात्रावास परिसर में विपरीत लिंग (Opposite Gender) के व्यक्तियों के आगमन एवं प्रवेश संबंधी नियम संस्थान के छात्रावास नियम एवं विनियम (Hostel Rules and Regulations) के अनुसार ही नियंत्रित होंगे। यदि कोई विद्यार्थी ऐसे छात्रावास में निवास करने का विकल्प चुनता है जहाँ ऐसे आगमन की अनुमति है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपने माता-पिता अथवा अभिभावकों को संबंधित नियमों, विनियमों तथा आवासीय व्यवस्था के बारे में विधिवत अवगत करा दिया है।

7. सामान्य सुविधाओं का उपयोग एवं निषिद्ध गतिविधियाँ
(Use of Common Facilities and Prohibited Activities)

7.1 विद्यार्थी भोजनालय (Dining Hall), सामान्य कक्ष (Common Room), खेल मैदान (Playgrounds), खेल सुविधाएँ (Sports Facilities), शैक्षणिक परिसर (Academic Spaces), छात्रावास, प्रयोगशालाएँ (Laboratories) तथा संस्थान की अन्य सामान्य सुविधाओं एवं परिसरों का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

7.2 विद्यार्थी अत्यधिक शोर-शराबा नहीं करेंगे, सह-निवासियों (Co-residents) को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेंगे, संस्थान के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, देर रात्रि तक विघटनकारी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे तथा शैक्षणिक, आवासीय अथवा सामान्य उपयोग के क्षेत्रों में किसी प्रकार की असुविधा, उपद्रव या अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करेंगे। संस्थान समय-समय पर शांत समय (Quiet Hours), आवासीय अनुशासन संबंधी मानदंड तथा सुविधाओं के उपयोग से संबंधित नियम निर्धारित कर सकता है, जिनका पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होगा।

7.3 परिसर एवं छात्रावासों के भीतर निम्नलिखित गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होंगी:

1. परिसर में धूम्रपान करना अथवा तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का उपयोग करना।
2. मादक पेय (Alcohol), मादक द्रव्यों (Narcotic Substances) अथवा नशीले पदार्थ रखना, सेवन, वितरण अथवा उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना।
3. हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ (Inflammable Materials) अथवा अन्य खतरनाक पदार्थ रखना अथवा उपयोग।
4. बिना अनुमति विद्‌युत उपकरणों, खाना पकाने के उपकरणों अथवा अन्य यंत्रों का उपयोग।
5. जुआ (Gambling) खेलना अथवा उसका आयोजन करना।
6. छात्रावास परिसर में पालतू पशुओं (Pets) को रखना।
7. ग्रैफिटी (Graffiti), नारे, लेखन अथवा ऐसे प्रदर्शन करना जो हिंसा, घृणा, भय, धमकी, गैर-कानूनी गतिविधियों, संपत्ति के विनाश अथवा परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन के प्रतिकूल आचरण को बढ़ावा देते हों।
8. कोई भी अन्य अवैध, असुरक्षित अथवा जोखिमपूर्ण गतिविधि।

7.4 उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर, उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार, प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती (Confiscation), आर्थिक दंड (Fine), सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों की वापसी (Withdrawal of Privileges), अनुशासनात्मक कार्रवाई, पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, निलंबन (Suspension), छात्रावास से निष्कासन (Hostel Expulsion) अथवा संस्थान से निष्कासन (Expulsion from the Institute) जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

8. डिजिटल, नेटवर्क एवं साइबर आचरण
(Digital, Network and Cyber Conduct)

8.1 संस्थान की कंप्यूटर प्रणालियों (Computer Systems), नेटवर्क (Networks), सर्वरों (Servers), डिजिटल संसाधनों (Digital Resources) तथा इंटरनेट सुविधाओं (Internet Facilities) का उपयोग भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (आईआईएसईआर कोलकाता) की कंप्यूटिंग और नेटवर्क संसाधन उपयोग नीति (*Computing and Network Resource Usage Policy*) तथा समय-समय पर जारी संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा। आईआईएसईआर कोलकाता की नेटवर्क नीति (Network Policy) भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000), उसके 2008 के संशोधन तथा सीईआरटी-इन (CERT-In) द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

8.2 कोई भी विद्यार्थी संस्थान परिसर के भीतर पायरेटेड (Pirated) सॉफ्टवेयर, अवैध डिजिटल सामग्री (Illegal Digital Content), अनधिकृत नेटवर्किंग उपकरण (Unauthorized Networking Devices), छेड़छाड़ किए गए इलेक्ट्रॉनिक तंत्र (Tampered Electronic Systems), दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर (Malicious Software) अथवा किसी भी प्रकार के अवैध डिजिटल संसाधनों का संग्रह, स्वामित्व, प्रसार अथवा उपयोग नहीं करेगा।

8.3 निम्नलिखित डिजिटल एवं साइबर गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होंगी:

1. हैकिंग (Hacking) अथवा हैकिंग का प्रयास।
2. कंप्यूटर प्रणालियों, उपयोगकर्ता खातों (Accounts), नेटवर्क अथवा डेटा तक अनधिकृत पहुँच (Unauthorized Access) प्राप्त करना।
3. संस्थान के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अथवा नेटवर्क उपकरणों में छेड़छाड़ करना।
4. नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन (Network Configuration) में बिना अनुमति परिवर्तन करना।
5. अनधिकृत वायरलेस नेटवर्क (Wireless Network) अथवा एक्सेस प्वाइंट (Access Point) स्थापित करना।
6. अवैध रूप से डाउनलोडिंग (Illegal Downloading) अथवा फ़ाइल साझाकरण (Illegal File Sharing) करना।
7. दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर (Malware) का प्रसार करना।
8. संस्थान के आधिकारिक ई-मेल, पोर्टल, नेटवर्क अथवा अन्य डिजिटल संसाधनों का दुरुपयोग करना।
9. संस्थान के नेटवर्क का उपयोग किसी भी अवैध, आपत्तिजनक, अपमानजनक, अनुचित अथवा प्रतिबंधित गतिविधि के लिए करना।

8.4 यदि डिजिटल संसाधनों के दुरुपयोग, साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे, अनुशासनात्मक मुद्दे, नीति उल्लंघन अथवा संस्थान के डिजिटल अवसंरचना (Institutional Infrastructure) के लिए किसी जोखिम की आशंका हो, तो आईआईएसईआर कोलकाता बिना पूर्व सूचना दिए किसी विद्यार्थी की डिजिटल पहुँच (Digital Access Privileges) को निलंबित (Suspend), सीमित (Restrict) अथवा समाप्त (Terminate) कर सकता है। डिजिटल संसाधनों के दुरुपयोग की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा जहाँ लागू हो, विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

9. संस्थागत अभिलेख, डेटा का उपयोग एवं साक्ष्य
(Institutional Records, Data Use and Evidence)

9.1 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (आईआईएसईआर कोलकाता) विधिसम्मत संस्थागत, शैक्षणिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, संरक्षा, साइबर सुरक्षा, अनुशासनात्मक तथा अनुपालन (Compliance) संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपस्थिति अभिलेख (Attendance Records), प्रवेश एवं निकास लॉग (Access Logs), आवागमन अभिलेख (Movement Records), सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage), बायोमेट्रिक अभिलेख (Biometric Records), डिजिटल निगरानी अभिलेख (Digital Monitoring Records), नेटवर्क गतिविधि लॉग (Network Activity Logs), ई-मेल, समिति प्रतिवेदन (Committee Reports), हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा-पत्र (Signed Undertakings), पोर्टल पर की गई घोषणाएँ (Portal Declarations) तथा अन्य संस्थागत अभिलेखों का संधारण (Maintain) कर सकता है।

9.2 ऐसे अभिलेखों का उपयोग, उनकी प्रामाणिकता (Authenticity) के सत्यापन, लागू विधि तथा निष्पक्षता (Fairness) के सिद्धांतों के अधीन, संस्थागत कार्यवाहियों (Institutional Proceedings) में दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence) के रूप में किया जा सकता है।

9.3 ऐसे सभी डेटा एवं अभिलेख केवल विधिसम्मत संस्थागत उद्देश्यों के लिए ही संकलित (Collect), सुरक्षित (Retain) एवं उपयोग (Use) किए जाएंगे तथा उनका प्रबंधन गोपनीयता (Privacy), गोपनीय सूचना की सुरक्षा (Confidentiality) तथा लागू डेटा संरक्षण सिद्धांतों (Data Protection Principles) का समुचित पालन करते हुए किया जाएगा।

10. चिकित्सा उपचार, आपातकालीन परिस्थितियाँ, मानसिक स्वास्थ्य एवं युक्तिसंगत सुविधा

(Medical Treatment, Emergencies, Mental Health and Reasonable Accommodation)

10.1 प्रवेश, पंजीकरण, अध्ययन की निरंतरता, अध्ययन में अवकाश (Break) के पश्चात पुनः प्रवेश (Rejoining), छात्रावास में निवास, चिकित्सकीय अवकाश (Medical Leave), चिकित्सकीय आधार पर पुनः परीक्षा (Re-examination on Medical Grounds) तथा स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर शैक्षणिक अथवा आवासीय सुविधाओं की निरंतरता, जहाँ युक्तिसंगत रूप से आवश्यक हो तथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन (Verification), चिकित्सकीय प्रमाणन (Medical Certification), संस्थागत मूल्यांकन (Institutional Assessment) एवं अनुमोदन (Approval) के अधीन हो सकती है।

10.2 विद्यार्थियों के कल्याण, परिसर की सुरक्षा, शैक्षणिक सहभागिता अथवा छात्रावासीय जीवन के हित में, जहाँ युक्तिसंगत रूप से आवश्यक हो, संस्थान किसी विद्यार्थी से चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Fitness Assessment), परामर्श (Counselling), मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन (Psychiatric Evaluation), विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन (Expert Assessment) अथवा स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (Fitness Certification) प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता, गरिमा, भेदभाव-रहित व्यवहार तथा युक्तिसंगत सुविधा (Reasonable Accommodation) के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

10.3 विद्यार्थी तथा उनके माता-पिता/अभिभावक किसी भी गंभीर चिकित्सकीय स्थिति (Serious Medical Condition), अस्पताल में भर्ती (Hospitalization), संक्रामक रोग (Communicable Disease), मनोचिकित्सकीय आपातस्थिति (Psychiatric Emergency), स्व-हानि (Self-Harm) के जोखिम, व्यवहारगत संकट (Behavioral Crisis), नियमित औषधि की आवश्यकता (Medication Requirement) अथवा ऐसी किसी अन्य परिस्थिति की जानकारी, जो विद्यार्थी की सुरक्षा, शैक्षणिक सहभागिता, छात्रावासीय जीवन अथवा अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा एवं कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हो, तत्काल संस्थान को उपलब्ध कराएँगे।

10.4 बीमारी, दुर्घटना, मनोचिकित्सकीय आपातस्थिति, स्व-हानि के जोखिम, व्यवहारगत संकट अथवा किसी अन्य आपातकालीन परिस्थिति में, आवश्यकता अनुसार आईआईएसईआर कोलकाता आपातकालीन चिकित्सा उपचार की व्यवस्था कर सकता है, माता-पिता/अभिभावकों से संपर्क कर सकता है, अस्पताल में भर्ती कराने में सहायता कर सकता है, चिकित्सकीय अथवा परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करा सकता है अथवा आवश्यक होने पर विधि-प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agencies) अथवा अन्य आपातकालीन प्राधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

10.5 चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, परिवहन, औषधियों, परिचारकों (Attendants), पुनर्वास (Rehabilitation), विशेष उपचार (Specialized Care) अथवा अन्य संबंधित सेवाओं पर होने वाला व्यय सामान्यतः विद्यार्थी अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा वहन किया जाएगा, जब तक कि वह किसी लागू बीमा योजना (Insurance Policy), संस्थागत योजना (Institutional Scheme) अथवा सक्षम प्राधिकारी के किसी विशेष निर्णय के अंतर्गत आच्छादित न हो।

10.6 विद्यार्थियों को प्रवेश के समय अथवा संस्थान द्वारा अपेक्षित किए जाने पर निर्धारित चिकित्सकीय प्रपत्र (Medical Forms), स्वास्थ्य घोषणाएँ (Health Declarations), मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिज्ञा-पत्र (Mental Health Undertakings) तथा अन्य संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। इन घोषणाओं का उपयोग केवल विद्यार्थी के कल्याण, आपातकालीन सहायता, परामर्श सेवाओं, युक्तिसंगत सुविधा (Reasonable Accommodation) तथा संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाएगा, न कि दंडात्मक अथवा भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए।

10.7 चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकीय, परामर्श संबंधी एवं व्यवहारगत जानकारी को पूर्णतः गोपनीय माना जाएगा। ऐसी जानकारी तक पहुँच केवल अधिकृत अधिकारियों को आवश्यकता-आधारित (Need-to-Know Basis) आधार पर, लागू विधि, आपातकालीन आवश्यकताओं तथा संस्थागत सुरक्षा संबंधी दायित्वों के अधीन ही प्रदान की जाएगी।

10.8 विशिष्ट चिकित्सकीय परिस्थितियों में, संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह किसी विद्यार्थी को उसके घर भेज सके तथा अधिकृत चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य सत्यापन (Medical Verification) एवं सक्षम

प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही उसे पुनः शैक्षणिक कार्यक्रम तथा/अथवा छात्रावास में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करे।

10.9 मानसिक स्वास्थ्य सहायता (Mental Health Support) के लिए संस्थान योर दोस्त (YourDOST) वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श (Online Counselling) उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर मेंटल केयर एंड वेलनेस सेंटर (Mental Care and Wellness Centre - MCWC), अपने विभागाध्यक्ष (HoD), संबंधित डीन अथवा छात्र मामलों की परिषद (SAC) के प्रतिनिधियों से मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया जाता है।

11. विद्यार्थी एवं माता-पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा एवं जानकारी का प्रकटीकरण *(Declaration and Disclosure by Student and Parent/Guardian)*

11.1 प्रत्येक विद्यार्थी तथा उसके माता-पिता/अभिभावक विद्यार्थी के स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्थागत सहायता तथा छात्रावासीय जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का सत्यतापूर्वक प्रकटीकरण (Truthful Disclosure) करेंगे। इसमें गंभीर चिकित्सकीय स्थितियाँ, मनोचिकित्सकीय अथवा मनोवैज्ञानिक इतिहास, नियमित औषधि की आवश्यकता, व्यवहार संबंधी मुद्दे, स्व-हानि (Self-Harm) के जोखिम का इतिहास, मादक पदार्थों के दुरुपयोग (Substance Abuse) से संबंधित मुद्दे, पूर्व संस्थान में गंभीर अनुशासनात्मक इतिहास अथवा ऐसी कोई अन्य स्थिति, जिसके लिए पर्यवेक्षण (Supervision), सहायता (Support) अथवा युक्तिसंगत सुविधा (Reasonable Accommodation) की आवश्यकता हो, सम्मिलित होंगे।

11.2 किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का जानबूझकर प्रकटीकरण न करना (non-Disclosure), छिपाना (Concealment), दबाना (Suppression) अथवा मिथ्या प्रस्तुतीकरण (Misrepresentation) करना, समुचित विचार-विमर्श (Due Consideration), संस्थागत प्रक्रियाओं तथा लागू विधि के अनुसार उपयुक्त प्रशासनिक अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता है।

11.3 उक्त जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता होने पर संस्थान विद्यार्थी को उपयुक्त सहायता, परामर्श (Counselling), आपातकालीन सहायता (Emergency Response), सुरक्षा उपाय (Safety Measures) तथा युक्तिसंगत सुविधा (Reasonable Accommodation) प्रदान कर सके। ऐसी जानकारी का उपयोग केवल किसी विद्यार्थी को उसकी दिव्यांगता (Disability), बीमारी (Illness), परामर्श प्राप्त करने के इतिहास (Counselling History) अथवा सहायता की आवश्यकता के आधार पर प्रवेश से वंचित करने या उसके विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई करने के लिए नहीं किया जाएगा।

11.4 विद्यार्थी अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकीय, व्यवहारगत, परामर्श-संबंधी तथा अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को आईआईएसईआर कोलकाता द्वारा पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। ऐसी जानकारी का अभिगम (Access), उपयोग (Use), भंडारण (Storage) तथा साझा (Sharing) केवल विधिसम्मत संस्थागत उद्देश्यों के लिए, जैसे कि विद्यार्थी कल्याण, परामर्श सहायता, सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, युक्तिसंगत सुविधा, आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा लागू विधि के अनुपालन के लिए ही किया जाएगा।

सामान्यतः ऐसी जानकारी केवल अधिकृत अधिकारियों को "आवश्यकता के आधार पर" (Need-to-Know Basis) उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, लागू विधिक दायित्वों, संस्थागत सुरक्षा आवश्यकताओं, चिकित्सकीय आपातस्थिति अथवा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों की स्थिति में इसका प्रकटीकरण किया जा सकता है।

12. संस्थान की संपत्ति को क्षति पहुँचाना **(Damage to Institutional Property)**

12.1 कोई भी विद्यार्थी संस्थान की किसी भी संपत्ति, जैसे कि भवन (Buildings), छात्रावास सुविधाएँ (Hostel Facilities), फर्नीचर (Furniture), स्थायी उपकरण एवं फिटिंग्स (Fixtures), प्रयोगशाला उपकरण (Laboratory

Equipment), खेल सामग्री (Sports Equipment), चाबियाँ (Keys), प्रवेश उपकरण (Access Devices), डिजिटल प्रणालियाँ (Digital Systems), पुस्तकें (Books), अभिलेख (Records), वाहन (Vehicles), वैद्युतिक उपकरण (Electrical Installations) अथवा अन्य सामूहिक संपत्ति (Common Property) को क्षति नहीं पहुँचाएगा, उसे विकृत (Deface), दुरुपयोग (Misuse) अथवा बिना अनुमति हटाएगा (Remove) नहीं।

12.2 यदि किसी विद्यार्थी के कारण संस्थान की संपत्ति को हानि अथवा क्षति पहुँचती है, तो उपयुक्त जाँच (Inquiry) अथवा मूल्यांकन (Assessment) के उपरांत मरम्मत व्यय (Repair Charges), प्रतिस्थापन लागत (Replacement Cost), अर्थदंड (Penalty) अथवा प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) की वसूली विद्यार्थी, उसके सावधि जमा (Caution Deposit), छात्रवृत्ति देयकों (Scholarship Dues) अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक से की जा सकती है।

12.3 संपत्ति की हानि अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी पाए गए किसी विद्यार्थी विशेष अथवा विद्यार्थियों के समूह से उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली की जा सकती है। यदि किसी व्यक्तिगत विद्यार्थी की जिम्मेदारी निर्धारित करना संभव न हो, किन्तु क्षति किसी निर्धारित समूह, छात्रावास कक्ष अथवा इकाई (Room/Unit) से संबंधित पाई जाए, तो संस्थान के मूल्यांकन तथा लागू नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित समूह अथवा इकाई के सदस्यों के बीच अनुपातिक रूप से विभाजित कर वसूल की जा सकती है।

13. शैक्षणिक सत्यनिष्ठा (Academic Integrity)

13.1 प्रत्येक विद्यार्थी शैक्षणिक ईमानदारी (Academic Honesty) एवं शैक्षणिक सत्यनिष्ठा (Academic Integrity) के उच्चतम मानकों का पालन करेगा तथा संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी शैक्षणिक दिशा-निर्देशों (Academic Guidelines) का अनुपालन करेगा।

13.2 शैक्षणिक दुराचार (Academic Misconduct) में निम्नलिखित कृत्य सम्मिलित होंगे, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

- साहित्यिक चोरी (Plagiarism);
- परीक्षा अथवा शैक्षणिक कार्य में अनुचित साधनों का प्रयोग (Cheating);
- किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण (Impersonation);
- आँकड़ों (Data) का निर्माण (Fabrication) अथवा मिथ्याकरण (Falsification);
- असाइनमेंट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्यों की नकल करना (Copying Assignments);
- बिना अनुमति सहयोग करना (Unauthorized Collaboration);
- परीक्षा संबंधी कदाचार (Examination Malpractice);
- शैक्षणिक संसाधनों का दुरुपयोग (Misuse of Academic Resources); तथा
- शैक्षणिक बेईमानी (Academic Dishonesty) का कोई अन्य कार्य।

13.3 शैक्षणिक दुराचार की प्रकृति एवं गंभीरता तथा लागू शैक्षणिक नियमों के अनुसार, विद्यार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

- चेतावनी (Warning);
- परीक्षा निरस्त करना (Cancellation of Examination);
- प्राप्तांक अथवा ग्रेड में कटौती (Reduction of Marks or Grades);
- संबंधित पाठ्यक्रम (Course) में अनुत्तीर्ण घोषित करना (Failure in Course);
- सेमेस्टर से वंचित करना अथवा सेमेस्टर ड्रॉप (Semester Drop);
- निलंबन (Suspension);
- परिणाम (Result) अथवा उपाधि (Degree) जारी करने पर रोक (Withholding of Result or Degree); अथवा

- संस्थान से निष्कासन (Expulsion from the Institute) ।

14. व्यक्तिगत सामान एवं व्यक्तिगत आचरण के संबंध में उत्तरदायित्व *(Liability for Personal Belongings and Personal Conduct)*

14.1 सामान्यतः भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (आईआईएसईआर कोलकाता) परिसर अथवा छात्रावास परिसर में रखे गए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत सामान (Personal Belongings), धनराशि (Money), इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (Gadgets), वाहनों (Vehicles), डिजिटल डेटा (Digital Data), बहुमूल्य वस्तुओं (Valuables), आभूषणों (Jewellery), दस्तावेज़ों (Documents) अथवा अन्य निजी संपत्ति की चोरी (Theft), हानि (Loss) अथवा क्षति (Damage) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ संस्थान की सिद्ध लापरवाही (Proven Institutional Negligence) अथवा लागू विधि के अंतर्गत वैधानिक दायित्व (Statutory Liability) स्थापित हो।

14.2 विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता होने पर उसके लिए उपयुक्त बीमा (Insurance Coverage) कराने की सलाह दी जाती है।

14.3 उचित परिस्थितियों में, संस्थान उपलब्ध सुरक्षा तंत्र (Security Mechanisms), सीसीटीवी अभिलेख (CCTV Records) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित तथ्य-अन्वेषण समिति (Fact-Finding Process) के माध्यम से घटना से संबंधित तथ्यों के निर्धारण (Ascertaining Facts) में सहायता प्रदान कर सकता है।

14.4 सामान्यतः संस्थान निम्नलिखित परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:

- बिना अनुमति अनुपस्थित रहना (Unauthorized Absence);
- अवकाश संबंधी नियमों का उल्लंघन (Violation of Leave Rules);
- अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन (Breach of Disciplinary Regulations);
- महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना (Concealment of Material Information); अथवा
- संस्थान द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करना (Failure to Comply with Institutional Instructions);

जब तक कि लागू विधि के अंतर्गत संस्थान का दायित्व स्थापित न हो अथवा ऐसी स्थिति संस्थान की सिद्ध लापरवाही के कारण उत्पन्न न हुई हो।

15. अनुशासनात्मक उपाय एवं प्रक्रिया *(Disciplinary Measures and Procedure)*

15.1 कदाचार (Misconduct) की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता (आईआईएसईआर कोलकाता) आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है—

- चेतावनी (Warning);
- फटकार (Reprimand);
- अर्थदंड (Fine);
- परिवीक्षा (Probation);
- सामुदायिक सेवा (Community Service);
- संस्थागत सुविधाओं अथवा विशेषाधिकारों की वापसी (Withdrawal of Privileges);
- प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती (Confiscation of Prohibited Articles);
- व्यय अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली (Recovery of Costs);
- छात्रावास से निष्कासन (Hostel Expulsion);
- निलंबन (Suspension);

- सेमेस्टर से पृथक्करण / सेमेस्टर वापसी (Semester Withdrawal);
- संस्थान से अस्थायी निष्कासन (Rustication);
- पंजीकरण निरस्त करना (Cancellation of Registration);
- परीक्षा परिणाम, प्रमाण-पत्र अथवा उपाधि (Degree) जारी करने पर रोक (Withholding of Results, Certificates or Degree);
- संस्थान से निष्कासन (Expulsion from the Institute);
- पुलिस में शिकायत (Police Complaint); अथवा
- लागू विधि के अनुसार विधिक कार्रवाई (Legal Action) ।

15.2 सामान्यतः किसी भी विद्यार्थी पर कोई गंभीर अनुशासनात्मक दंड (Major Disciplinary Penalty) तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित एवं युक्तिसंगत अवसर (Reasonable Opportunity of Being Heard) प्रदान न किया गया हो। तथापि, ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में जहाँ तत्काल सुरक्षा (Safety), संरक्षा (Security), चिकित्सकीय आपातस्थिति (Medical Emergency) अथवा संस्थागत जोखिम (Institutional Risk) विद्यमान हो, यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

15.3 अनुशासनात्मक कार्यवाही सामान्यतः निष्पक्षता (Fairness), आनुपातिकता (Proportionality), प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) तथा युक्तिसंगत एवं कारणयुक्त निर्णय-निर्माण (Reasoned Decision-Making) के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित की जाएगी, जो प्रकरण की प्रकृति तथा संस्थान के लागू नियमों के अधीन होगी।

15.4 किसी भी प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई (Major Disciplinary Action) से प्रभावित विद्यार्थी, संस्थान के नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर, नामित अपीलीय प्राधिकारी (Designated Appellate Authority) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता/सकती है।

16. अप्रत्याशित परिस्थितियाँ एवं संस्थागत व्यवधान
(Force Majeure and Institutional Disruption)

16.1 सामान्यतः भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (आईआईएसईआर कोलकाता) प्राकृतिक आपदाओं (Natural Disasters), महामारी (Epidemics), सरकारी आदेशों (Governmental Orders), नागरिक अशांति (Civil Disturbances), तकनीकी विफलताओं (Technical Failures), सुरक्षा संबंधी आपातस्थितियों (Security Emergencies), जनस्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं (Public Health Requirements) अथवा अन्य अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित परिस्थितियों (Force Majeure Circumstances) के कारण संस्थागत सेवाओं (Institutional Services), शैक्षणिक कार्यक्रमों (Academic Schedules), छात्रावास सुविधाओं (Hostel Facilities) अथवा प्रशासनिक कार्यप्रणाली (Administrative Functioning) में उत्पन्न व्यवधान (Disruption), विलंब (Delay), प्रतिबंध (Restriction) अथवा संशोधन (Modification) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

16.2 ऐसी परिस्थितियों में संस्थान आवश्यकतानुसार विशेष निर्देश (Special Instructions), परामर्श (Advisories), मानक संचालन प्रक्रियाएँ (Standard Operating Procedures - SOPs) अथवा प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है, और सभी विद्यार्थियों के लिए उनका पालन करना अनिवार्य होगा।

17. अधिकार-क्षेत्र एवं विधिक कार्यवाहियाँ
(Jurisdiction and Legal Proceedings)

17.1 प्रवेश (Admission), पंजीकरण (Registration), छात्रावास आवंटन (Hostel Accommodation), अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Proceedings), शैक्षणिक निर्णय (Academic Decisions), परीक्षाएँ (Examinations), शुल्क एवं शुल्क-वापसी (Fees and Refunds), विद्यार्थी आचरण (Student Conduct), संस्थागत प्रशासन (Institutional Administration), इन उपविधियों (By-laws) की व्याख्या (Interpretation),

अथवा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (आईआईएसईआर कोलकाता) के साथ किसी विद्यार्थी के संबंध से उत्पन्न किसी भी विवाद (Dispute) से संबंधित सभी मामलों पर केवल उन न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) होगा, जिन्हें आईआईएसईआर कोलकाता के क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) पर विधिक अधिकार प्राप्त है।

17.2 सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा लिए गए निर्णय सामान्यतः अंतिम (Final) एवं बाध्यकारी (Binding) होंगे, तथापि वे लागू विधि (Applicable Law), वैधानिक उपचारों (Statutory Remedies), संस्थान में उपलब्ध अपील संबंधी प्रावधानों (Institutional Appeal Provisions) तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के अधीन होंगे।

18. प्रवेश के उपरांत पंजीकरण निरस्तीकरण एवं संस्थान से नाम वापसी
(Cancellation of Registration and Withdrawal from the Institute after Admission)

18.1 यदि कोई विद्यार्थी संस्थान के अधिष्ठाता शिक्षण मामलें [Dean of Academic Affairs] की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी सेमेस्टर के दौरान लगातार चार सप्ताह (Four Weeks) तक अनुपस्थित रहता/रहती है, तो उस विद्यार्थी का सभी पाठ्यक्रमों (Courses) में पंजीकरण (Registration) स्वतः निरस्त (Automatically Cancelled) माना जाएगा।

18.2 यदि कोई नवप्रवेशित विद्यार्थी प्रवेश (Admission) प्राप्त करने के उपरांत संस्थान से अपना नाम वापस लेना (Withdrawal from the Institute) चाहता/चाहती है, तो शुल्क की वापसी (Refund of Fees) का निस्तारण संस्थान के उस समय प्रभावी (Prevailing) नियमों, विनियमों (Regulations) तथा दिशा-निर्देशों (Guidelines) के अनुसार किया जाएगा, जो समय-समय पर लागू होंगे।

19. राजनीतिक गतिविधियाँ
(Political Activities)

19.1 शैक्षणिक अनुशासन (Academic Discipline), संस्थागत तटस्थता (Institutional Neutrality) तथा अध्ययन-अनुकूल वातावरण (Conducive Learning Environment) बनाए रखने के उद्देश्य से, विद्यार्थियों को संस्थान परिसर (Campus Premises) के भीतर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों (Political Activities) में भाग लेने से विरत रहना होगा।

19.2 राजनीतिक गतिविधियों में परिसर के भीतर किसी भी राजनीतिक दल (Political Party) अथवा निर्वाचन प्रक्रिया (Electoral Process) से संबंधित बैठकों (Meetings), प्रदर्शनों (Demonstrations), अभियानों (Campaigns) अथवा अन्य संगठित राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना अथवा उनका आयोजन करना सम्मिलित होगा।

संस्थान अनुमोदित मंचों (Approved Forums) पर राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित सूचनाप्रद एवं शैक्षणिक विमर्श (Informed Academic Discourse) को प्रोत्साहित करता है; तथापि ऐसे विमर्श को परिसर के भीतर संगठित राजनीतिक गतिविधि (Organized Political Activity) के रूप में परिवर्तित करना निषिद्ध होगा।

19.3 इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन संस्थान के लागू अनुशासनात्मक विनियमों (Disciplinary Regulations) के अनुसार निस्तारित किया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

20. विद्यार्थी एवं माता-पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा-पत्र (Undertaking)

A. विद्यार्थी एवं माता-पिता/अभिभावक द्वारा स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी घोषणा

माता-पिता/अभिभावकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित जानकारी सत्यतापूर्वक प्रदान करें तथा जहाँ लागू हो वहाँ उपयुक्त विकल्प (✓) अंकित करें। प्रदान की गई समस्त जानकारी पूर्णतः गोपनीय (Confidential) रखी जाएगी तथा लागू विधि के अनुसार केवल उपयुक्त सहायता (Support), परामर्श (Counselling), सुरक्षा उपाय (Safety Measures) एवं युक्तिसंगत सुविधा (Reasonable Accommodation) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही उपयोग की जाएगी।

मनोवैज्ञानिक / मनोरोग संबंधी स्थितियाँ

(जहाँ लागू हो वहाँ ✓ अंकित करें)

☐ चिंता विकार (Anxiety Disorder)
☐ अवसाद (Depression)
☐ ध्यान-अभाव अति-सक्रियता विकार (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD)
☐ ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder – ASD)
☐ पैनिक विकार (Panic Disorder)
☐ ऑब्सेसिव कम्पल्सिव डिसऑर्डर (Obsessive Compulsive Disorder – OCD)
☐ द्विध्रुवी विकार (Bipolar Disorder)
☐ अधिगम अक्षमता (Learning Disability) जिसके लिए विशेष सहायता/युक्तिसंगत सुविधा आवश्यक हो
☐ भावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक परामर्श का पूर्व इतिहास (Emotional or Psychological Counselling History)
☐ मनोरोग संबंधी उपचार/चिकित्सा/निर्धारित मनोरोग औषधियों का उपयोग (Psychiatric Treatment / Therapy / Prescribed Psychiatric Medication)
☐ आत्म-हानि (Self-Harm), आत्महत्या के विचार (Suicidal Ideation) अथवा गंभीर भावनात्मक संकट (Severe Emotional Distress) का इतिहास
☐ अन्य कोई मनोवैज्ञानिक/मनोरोग संबंधी स्थिति (कृपया उल्लेख करें): ____________________

व्यवहार संबंधी मुद्दे
(जहाँ लागू हो वहाँ ✓ अंकित करें)

☐ आक्रामक अथवा हिंसक व्यवहार (Aggressive or Violent Behavior)
☐ बुलिंग (Bullying) अथवा उत्पीड़न (Harassment) से संबंधित घटनाएँ
☐ मादक पदार्थों के दुरुपयोग अथवा व्यसन (Substance Abuse / Addiction) से संबंधित मुद्दे
☐ पूर्व संस्थान/संस्थानों में बार-बार अनुशासनहीनता (Repeated Disciplinary Misconduct)
☐ क्रोध नियंत्रण संबंधी गंभीर समस्या (Serious Anger Management Issues)
☐ आदतन अनुपस्थिति अथवा संस्थागत नियमों का पालन करने से इंकार (Habitual Absenteeism / Refusal to Follow Institutional Rules)
☐ ऐसा व्यवहार जिससे स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा को जोखिम हो (Behavior Causing Risk to Self or Others)
☐ साइबर दुराचार अथवा धमकीपूर्ण व्यवहार (Cyber Misconduct / Threatening Behavior)
☐ विनाशकारी, विघटनकारी अथवा अपमानजनक आचरण (Destructive, Disruptive or Abusive Conduct)
☐ विशेष पर्यवेक्षण, परामर्श अथवा संस्थागत हस्तक्षेप की आवश्यकता (Requirement of Special Supervision / Counselling / Institutional Intervention)
☐ अन्य कोई व्यवहार संबंधी मुद्दे (कृपया उल्लेख करें): ____________________

उपरोक्त जानकारी केवल विद्यार्थी की सुरक्षा, कल्याण, परामर्श सहायता तथा आईआईएसईआर कोलकाता में अध्ययन एवं निवास के दौरान आवश्यक संस्थागत सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राप्त की जा रही है।

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मेरे/हमारे पुत्र/पुत्री को उपर्युक्त वर्णित व्यवहार संबंधी अथवा स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ हैं/नहीं हैं तथा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर: ______________________________

विद्यार्थी का नाम: __________________________________

आवेदन संख्या / नामांकन संख्या (Application/Roll Number): ______________________

दिनांक: __________________

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर: ____________________________

माता-पिता/अभिभावक का नाम: _________________________________

विद्यार्थी से संबंध: ______________________

B. एंटी-रैगिंग शपथ-पत्र (Anti-Ragging Affidavit Form)

विद्यार्थी का विवरण

- पूरा नाम:
- ईमेल पता:
- मोबाइल नंबर:
- नामांकन संख्या:
- स्थायी पता:
- पाठ्यक्रम / कार्यक्रम:
- प्रवेश वर्ष:

माता-पिता / अभिभावक का विवरण

- पूरा नाम:
- ईमेल पता:
- मोबाइल नंबर:
- स्थायी पता:

विद्यार्थी की घोषणा

(क) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आईआईएसईआर कोलकाता की एंटी-रैगिंग नीति का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी तथा उसके किसी भी उल्लंघन के परिणामों से अवगत हूँ।

(ख) मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम संबंधी विनियम, 2009 (UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009) का अध्ययन किया है।

(ग) मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने रैगिंग की रोकथाम संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08 मई 2009 के निर्णय का सार पढ़ लिया है।

(घ) मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग अथवा हिंसात्मक व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ रैगिंग अथवा हिंसा को सहन करूँगा/करूँगी।

(ङ) यदि मुझे रैगिंग की कोई घटना ज्ञात होती है, तो मैं उसकी सूचना तत्काल संस्थान के निदेशक अथवा एंटी-रैगिंग समिति को दूँगा/दूँगी।

(च) मैं रैगिंग की किसी घटना का मूकदर्शक नहीं बनूँगा/बनूँगी तथा ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल निदेशक, आईआईएसईआर कोलकाता, एंटी-रैगिंग समिति हेल्पलाइन अथवा anti-ragging@iiserkol.ac.in पर उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी।

दिनांक: ________________

विद्यार्थी के हस्ताक्षर: ________________

माता-पिता/अभिभावक की घोषणा

मैं, ________________________, उपर्युक्त विद्यार्थी का/की माता/पिता/अभिभावक, एंटी-रैगिंग नीति को पढ़ एवं समझ चुका/चुकी हूँ तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन में संस्थान को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी।

दिनांक: ________________

हस्ताक्षर: ________________

C. सम्मान संहिता (Honour Code)

मैं, आईआईएसईआर कोलकाता का विद्यार्थी होने के नाते, सत्यनिष्ठापूर्वक यह प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं संस्थान की शैक्षणिक ईमानदारी (Academic Integrity) एवं सम्मान संहिता (Honour Code) का पालन करूँगा/करूँगी। मैं किसी भी प्रकार की शैक्षणिक बेईमानी (Academic Dishonesty) में भाग नहीं लूँगा/लूँगी, न ही किसी को अनुचित सहायता प्रदान करूँगा/करूँगी अथवा प्राप्त करूँगा/करूँगी। मैं साहित्यिक चोरी (Plagiarism) नहीं करूँगा/करूँगी तथा किसी अन्य स्रोत की सामग्री को अपना मौलिक कार्य बताकर प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी। जहाँ भी आवश्यक होगा, मैं मूल स्रोत एवं लेखक का विधिवत् उल्लेख (Acknowledgement and Citation) करूँगा/करूँगी।

मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि यदि मैं उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया/पाई जाता/जाती हूँ, तो संस्थान मेरे विद्यार्थीत्व (Studentship) की समाप्ति तथा अर्जित उपाधियों/प्रमाण-पत्रों (Earned Credentials) के निरस्तीकरण सहित उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर: ________________

नाम: ________________

आईडी संख्या: _______________

कार्यक्रम: _______________

विभाग: _______________

D. अंतिम घोषणा

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने इन उपविधियों (By-laws), छात्रावास नियमों, विद्यार्थी आचरण विनियमों, चिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी घोषणाओं, एंटी-रैगिंग विनियमों, नेटवर्क नीति, शैक्षणिक विनियमों तथा आईआईएसईआर कोलकाता के अन्य सभी लागू नियमों, विनियमों एवं नीतियों को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है।

मैं/हम इनका पालन करने के लिए सहमत हैं तथा यह समझते हैं कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में लागू नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक, प्रशासनिक, दीवानी (Civil) अथवा आपराधिक (Criminal) कार्रवाई की जा सकती है।

मैं/हम यह भी घोषित करते हैं कि विद्यार्थी से संबंधित समस्त प्रासंगिक चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, मनोरोग, भावनात्मक, व्यवहारिक, अनुशासनात्मक एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण रूप से आईआईएसईआर कोलकाता को उपलब्ध करा दी गई है।

मैं/हम यह समझते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी का जानबूझकर छिपाना, दबाना अथवा मिथ्या प्रस्तुतीकरण उचित प्रशासनिक अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में, जहाँ लागू विधि के अंतर्गत संस्थान का दायित्व उत्पन्न न हो, आईआईएसईआर कोलकाता सामान्यतः ऐसे जानबूझकर किए गए गोपनीयकरण अथवा मिथ्या प्रस्तुतीकरण से उत्पन्न परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर: _______________

विद्यार्थी का नाम: _______________

आवेदन/ नामांकन संख्या: _______________

दिनांक: _______________

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर: _______________

माता-पिता/अभिभावक का नाम: _______________

विद्यार्थी से संबंध: _______________

साक्षी–1

नाम: _______________

हस्ताक्षर: _______________

साक्षी–2

नाम: ________________

हस्ताक्षर: ________________

विद्यार्थी का पासपोर्ट आकार छायाचित्र (फ़ोटो)